

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/स्थायीकरण/2019/

दिनांक:

—:आदेश:—

निदेशालय के आदेश संख्या 123 दिनांक 27.05.2016 के द्वारा दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर श्री लोकेश तिवारी का फार्मासिस्ट के पद पर चयन कर नियुक्ति प्रदान की गई थी। इन द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 के नियम-31 के तहत एतद् द्वारा स्थायी किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एफडी/नियम 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में फार्मासिस्ट के पद की पे-मैट्रिक्स L-10 में न्यूनतम वेतन रूपये 33800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	जन्म तिथि	पदस्थापन जिला	कार्यग्रहण तिथि	परिवीक्षा काल पूर्ण करने की दिनांक	2 वर्ष पश्चात् परिवीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	श्री लोकेश तिवारी,	12.07.1985	सीकर	13.06.2016	12.06.2018	13.06.2018

उक्त कार्मिक का उक्तानुसार वेतन निर्धारण एवं सेवा पुस्तिका में तत्संबंधी इन्द्राज संबंधित कार्यालयध्यक्ष के द्वारा किया जावेगा।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/स्थायीकरण/2019/294

दिनांक: 26.07.2019

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)।
4. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/निजी पत्रावली।
6. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर